मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
08/22/2016	02/24/2020	3 वर्ष, 6 माह, 2 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष	माह/दिनॉक/वर्ष	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या-427/2016

1. श्रीमती मिथला देवी आयु करीब 44 वर्ष पत्नी श्री कमल निवासनी 37/1 गोमा की फेल इन्दौर जिला इन्दौर, (म.प्र.)

--------याचिया।

(अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह पाली)

प्रति

1. जुबेर अहमद तनय मुहम्मद शफीक निवासी मकान नम्बर 81 ग्राम पराकुवार जारहरा जिला बाराबंकी (उ.प्र.)

............स्वामी ट्रक सं. UP 41/T-7644

2. रज्ज़ब अली तनय अकबर अली निवासी ग्राम व कस्बा ईचौली पोस्ट ईचौली थाना टिकैत नगर जिला बाराबंकी (उ.प्र.)

............चालक ट्रक सं. UP 41/T-7644

(अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 2 श्री जी.एस.तोमर)

3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक कचहरी चौराहा सिविल लाईन झाँसी

.........बीमाकर्ता ट्रक सं. UP 41/T-7644

(अधिवक्ता श्री सुपर्व शरण)

4. श्रीमती माला अग्रवाल पत्नी दीपक कुमार अग्रवाल निवासनी 329/2A झोकनबाग, सिविल लाईन झाँसी

..........मालिक बस सं. UP 93/AT-1539

5. प्रशान्त गोस्वामी तनय ओमकार पुरी गोस्वामी निवासी मकान नम्बर 166 नियर जेल चौराहा झाँसी (उ.प्र.)

...........चालक बस सं. UP 93/AT-1539

(अधिवक्ता श्री प्रमोद शिवहरे)

6. एच.डी.एफ.सी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ।। फ्लोर रतन स्कवायर बिल्डिंग भवन विधान सभा मार्ग लखनऊ, उ.प्र. जरिये शाखा

.......बीमाकर्ता बस सं. UP 93/AT-1539

(द्वारा अधिवक्ता श्री राज तिलक सक्सेना)

---------विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत याचिका मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचिया श्रीमती मिथला देवी को आयी चोटों के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध ₹45,25,000/- क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचिया दिनॉक 18.04.2016 को करीब 09.15 बजे झाँसी से बस सं. UP 93/AT-1539 से जा रही थी कि झाॅसी से 7 किलोमीटर का पत्थर जहां पर लगा है तथा जिसके पास वन विभाग का प्रकोष्ठ है, बस चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा ट्रक नं. UP 41/T-7644 का चालक भी ट्रक को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिस कारण दुर्घटना घटित हुयी तथा उक्त दुर्घटना में आयी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 11:18:26 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

चोटों के कारण उसे सरकारी अस्पताल व प्राईवेट अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण याचिया चल फिर नहीं पाती है न ही घर का कार्य कर पाती है, उसे मंहगी दवाईयाॅ लेना पड़ी एवं उसे दुर्घटना में आयी चोटों के कारण अपंगता आ गयी। दुर्घटना के पूर्व याचिया सिलाई, कढ़ाई व बुनाई का कार्य करके ₹8,000/- माहवार कमा लेती थी।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः ट्रक संख्या UP 41/T-7644 के स्वामी व चालक की ओर से 15B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि उनके उक्त ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है। याचिया बस में सवार थी तथा बस के चालक की तेजी व लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुयी थी अतः बस का चालक, स्वामी व बीमा कम्पनी ही क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी हैं। उनके ट्रक को जबरन शामिल कर दिया गया है। फिर भी यदि विपक्षीगण को दोषी पाया जाये तो विपक्षीगण का वाहन दुर्घटना के दिनाॅक व समय पर विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी के यहाॅ विधिवत बीमित था तथा चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स था, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व उसकी बीमा कम्पनी विपक्षी सं. 3 का है।

4. विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लि. ट्रक संख्या UP 41/T-7644 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा दिनांकित 05.10.2017 दाखिल किया गया है जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि यदि तथाकथित प्रश्नगत ट्रक व बस के चालकों के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स होना नहीं पाये जाते हैं तो इस आधार पर याची कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने की अधिकारी नहीं है। कथित दुघर्टना ट्रक संख्या UP 41/T-7644 की तेजी व लापरवाही से घटित नहीं हुयी है इस कारण याची मिनउत्तरदाता बीमा कम्पनी से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. विपक्षी संख्या 4 श्रीमती माला एवं विपक्षी सं. 5 प्रशान्त गोस्वामी क्रमशः बस सं. UP 93/AT-1539 के मालिक एवं चालक की ओर से 28B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित घटना की तिथि को विपक्षी सं. 4 की बस को विपक्षी सं. 5 सड़क किनारे चला रहा था और उक्त घटना में बस चालक की कोई गलती नहीं है। बस चालक के पास कथित घटना की तिथि पर बस चलाने का वैध चालक लाइसेन्स था तथा उनकी बस कथित दुर्घटना की तिथि पर विपक्षी सं. 6 बीमा कम्पनी के यहाॅ बीमित थी। यदि न्यायाधिकरण विपक्षी सं. 5 बस चालक की जिम्मेदारी मानता है तो क्षतिपूर्ति के लिये विपक्षी सं. 6 एच.डी.एफ.सी. ज.इं.कं.लि. जिम्मेदार है। कथित घटना ट्रक चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुयी है इस कारण क्षतिपूर्ति अदायगी के लिये ट्रक चालक, मालिक व उसकी बीमा कम्पनी जिम्मेदार है।

6. विपक्षी संख्या 6 एच.डी.एफ.सी. इरगो ज.इं.कं. लि. बस सं. UP 93/AT-1539 की बीमा कम्पनी की ओर से 25B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित घटना फर्जी तथ्यों पर झूठी बनाकर पेश की गयी है। कथित घटना में लिप्त बस से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है न ही प्रश्नगत बस के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी न ही वाहन जब्त किया गया था। यदि यह सिद्ध होता है कि वाहन का चालक ने बीमा पॉलिसी की शर्तो व परिवहन नियमों का उल्लंघन किया है तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति धनराशि देने का नहीं होगा।

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 11.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनॉक 18.04.2016 को करीब 09.15 बजे याची झाँसी से बस संख्या UP 93 AT 1539 से जा रही थी कि झाँसी से 7 कि.मी. का पत्थर लगा है और जिसके पास वन विभाग का प्रकोष्ठ है, बस चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से बस को चलाकर ट्रक नम्बर UP 41 T 7644 भी अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिस कारण दुर्घटना घटित हुयी एवं याची को गम्भीर चोटें आयी?

2. क्या दोनों वाहनों की योगदायी उपेक्षा से दुर्घटना घटित हुयी है?

3. क्या दुर्घटना के दिनॉक व समय पर बस सं. UP 93 AT 1539 व ट्रक नम्बर UP 41 T 7644 के चालकों के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था?

4. क्या दुर्घटना के दिनॉक व समय पर बस सं. UP 93 AT 1539 व ट्रक नम्बर UP 41T 7644 बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित थी?

5. क्या याची प्रतिकर पाने का अधिकारी है यदि हॉ तो कितना व किससे?

8. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 10 सी1 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याची द्वारा फेहरिस्त 55 सी1 के माध्यम से 56 सी1/1 लगायत 56 सी1/6 प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपि शामिल हैं,

3. विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 17 सी1 के माध्यम से 18 सी1/1 लगायत 22 सी1/2 जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन चालक रज्जब के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,

4. विपक्षी सं. 4 की ओर से फेहरिस्त 30 सी1 के माध्यम से 31 सी1/1 लगायत 35 सी1/5 जिनमें प्रश्नगत बस के पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी, चालक प्रशान्त गोस्वामी के ड्राईविंग लाइसेन्स व वाहन के स्वस्थता प्रमाणपत्र की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

5. याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 के रूप में याचिया श्रीमती मिथला एवं PW2 के रूप में गगन तलैया को परीक्षित कराया गया है,

6. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

9. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

10. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2

वाद बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में चक्षुदर्शी PW1 जो आरोप पत्र का भी गवाह है ने यह कथन किया है कि वे दिनॉक 18.04.2016 को दुर्घटनाग्रस्त बस मे इंदौर से आकर झाँसी बस स्टैंड से मउरानी के पास सोनालुहरी की यात्रा कर रहे थे। दुर्घटना पर उसे गंभीर चोटें आईं। बस का नंबर याद नही है। सुबह 10 बजे दुर्घटना बस व ट्रक के मध्य आमने सामने हुई। अब देखना यह है कि वास्तव मे किसकी कितनी उपेक्षा थी। प्रति परीक्षा मे PW1 ने कथन किया है कि ट्रक चालक ने सामने से आते हुए बस की साईड मे आकर टक्कर मारी थी। बस का चालक बस को शुरू से ही तेजी से चला रहा था कई बार अन्य सवारियों ने भी बस को धीमे चलाने को कहा लेकिन ड्राइवर नहीं माना। F.I.R. में यह

बात सही लिखी है कि बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। पहले ये ट्रैक्टर ट्राली जिसमें लंबी ट्राली में ईंट लदी से टकराया फिर ट्रक से टकराया। बस पूरी भरी हुई थी बस मे काफी लोग खड़े भी थे। दुर्घटना बीच सड़क पर हुई थी। दुर्घटना बस चालक की उपेक्षा के कारण हुई थी। ट्रक चालक की उपेक्षा नही थी। बस पूरी भरी हुई थी। F.I.R. में यह बात सही लिखी है कि बस का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। पहले ये ट्रैक्टर ट्राली जिसमें लंबी ट्राली में ईंट लदी से टकराया फिर ट्रक से टकराया। चक्षुदर्शी PW2 जो आरोप पत्र का भी गवाह है ने यह कथन किया है कि दिनांक 18.4.16 की समय लगभग 9:15 की भगवंतपुरा झांसी मऊरानीपुर मार्ग की घटना है। वह बस संख्या UP 93 AT 1539 में बैठकर आ रहा था। साथ में उसकी मां मिथिला बाई बैठी थी। जैसे वह भगवंतपुरा के पास पहुंचा कि बस चालक थोड़ा तेजी व लापरवाही से चला रहा था और ट्रक संख्या UP 41 AT 7644 का चालक ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और बस से टकरा गया। यह घटना ट्रक चालक व बस की लापरवाही से हुई है। दुर्घटना पर उसकी मॉ को गंभीर चोटें आई प्रति परीक्षा मे PW2 ने कथन किया है कि बस का चालक शुरू से ही बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। उसने दुर्घटना की रिपोर्ट बस चालक के विरुद्ध दर्ज कराई थी। यह दुर्घटना बस चालक की तेजी व लापरवाही से घटित हुई है। ट्रक चालक की कोई तेजी व लापरवाही नहीं है।

11. दोनों चालको के विरुद्ध आरोप पत्र 56C1/5 प्रस्तुत हुआ है। दोनों साक्षी गण के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि इस दुर्घटना में ट्रक चालक व बस चालक दोनों की उपेक्षा रही है, किंतु बस चालक की उपेक्षा अधिक है। इस बात का समर्थन दुर्घटनास्थल की नक्शा नजरी 61C2/3 से भी होता है जो कि निम्न प्रकार है–

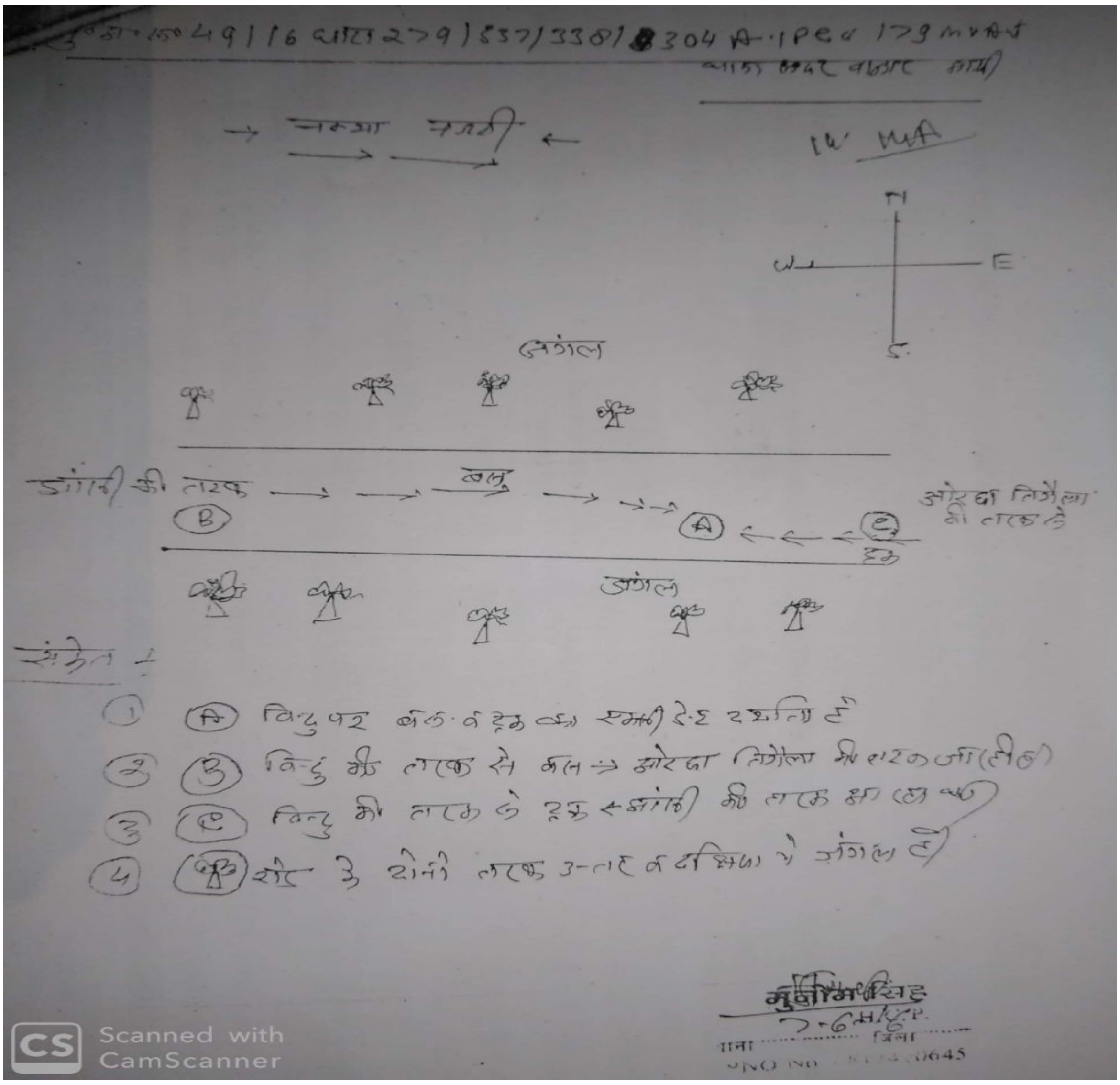

यह टक्कर बस के अपने दाहिने गलत साइड चले जाने और ट्रक के अपने बांये सड़क पर जगह होने के बावजूद ट्रक को बांये न लेने के कारण हुई है। चालकों को ठंडे दिमाग से पैसेंजर/माल वाहनों को चलाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति यह मानसिकता कि दूसरा चालक अपने वाहन को बांये ले जाए दुर्घटना का कारण बन जाता है। ऐसे मामलों मे चालकों के लाइसेन्स जब्त हो जाने चाहिए और दाण्डिक कार्यवाही भी कठोर होनी चाहिए। बहरहाल, इन परिस्थितियों में मै इस निष्कर्ष का हूॅ कि बस चालक की उपेक्षा 75 प्रतिशत की है और उसमें 25 प्रतिशत की योग दाई उपेक्षा ट्रक चालक की भी है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक व दो निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रपत्र सं. 22C1 ट्रक चालक रज़्ब अली की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 15.06.2015 से 14.06.2018 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। पत्रावली पर प्रपत्र सं. 34C1 बस चालक प्रशान्त गोस्वामी की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 16.06.2015 से 15.06.2018 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन दोनो वाहनों मे से किसी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 18.04.2016 की है। दोनों चालको के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र 56C1/5 के अनुसार बस चालक प्रशान्त गोस्वामी ट्रक चालक रज़्ब अली है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक नं. UP 41 AT 7644 व बस नं. UP 93 AT 1539 के चालकों के पास वाहन चलाने के वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स थे। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रपत्र सं. 18C1 ट्रक सं. UP 41T 7644 की बीमा पॉलिसी द्वारा दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक का बीमा दिनॉक 02.06.2015 से 01.06.2016 तक प्रभावी है। पत्रावली पर प्रपत्र सं. 33C1/1 बस सं. UP 93AT 1539 की बीमा पॉलिसी द्वारा एच.डी.एफ.सी. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक का बीमा दिनॉक 02.06.2016 से 01.06.2016 तक प्रभावी है। इन पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनियों द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 18.04.2016 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

चूंकि दुर्घटना बस सं. UP 93AT 1539 के चालक की 75 लापरवाही तथा ट्रक सं. UP 41 AT 7644 के चालक की 25 प्रतिशत की संयुक्त लापरवाही के कारण हुई है और दोनो वाहन दुर्घटना के समय क्रमश: विपक्षी सं. 6 व 3 से बीमित थे अतः बीमा कंपनियों का इसी अनुपात में क्षतिपूर्ति की का दायित्व बनता है। स्थाई रूप से विकलांगता का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पैर की हड्डी टूटने, ऑपरेशन होने, चार बोतल खून चढ़ने, करीब ढाई महीने अस्पताल में भर्ती रहने आदि के समर्थन मे चिकित्सीय साक्ष्य प्रपत्र सं. 51C1/30,31,32,33,34,35,36 पत्रावली पर उपलब्ध है। इलाज से संबंधित अनेंक बिल दाखिल किए गए हैं किंतु मात्र ₹16,123 के बिल प्रपत्र सं. 59C1 के द्वारा बीमा कं. द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत किए गए हैं जबकि इससे अधिक का व्यय होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व

शारीरिक कष्ट, पुष्टाहार, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च, इलाज के लिए अवागमन पर खर्च व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के मदों मे लमसम ₹ 50,000 विपक्षी संख्या 6 व 3 से क्रमश: 75 व 25 प्रतिशत के अनुपात मे दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस पर ब्याज 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 3 व 6 के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹50,000/– (पचास हजार**) मय 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। संख्या 3 व 6 का दायित्व क्रमश: 25 व 75 प्रतिशत का होगा। विपक्षी सं. 3 व 6 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 22.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 22.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी